UPBP010017182022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), बलरामपुर।
उपस्थितः सुमित प्रेमी, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(ID No:UP1774)

<u>सत्र परीक्षण संख्या–172/2022</u>

(रजिस्टर पंजीयन संख्या–109/2022)

सी०एन०आर० नं०- UPBP 010017182022

. उ०प्र०राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

रामकिशुन पुत्र सीताराम निवीसी ग्राम सिरहिया, थाना ललिया, जनपद बलरामपुर ।

...............................अभियुक्त।

परिवाद संख्या–1120/2021
धारा–376 भारतीय दंड संहिता
थाना–ललिया
जनपद–बलरामपुर

<u>निर्णय</u>

1. माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विधि व्यवस्थाओं के अधीन यह प्रतिपादित किया गया है कि निर्णय पारित किये जाते समय पीड़िता के नाम का उल्लेख न किया जाये। तद्नुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिनेश उर्फ बुद्धा बनाम राजस्थान राज्य डी०एन०आर० 206 सुप्रीम कोर्ट 2012** में दिये गये संप्रेषण के अनुसार इस निर्णय में पीड़िता का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस निर्णय में पीड़िता के नाम के स्थान पर मात्र “पीड़िता” शब्द का प्रयुक्त किया जायेगा।

2. उल्लेखनीय है कि पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश आदेश दिनांकित– 20.04.2026 के अनुपालन में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6, बलरामपुर से इस न्यायलय को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि परिवादिनी द्वारा न्यायालय

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बलरामपुर में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी दिनांक–19.08.2021 को रात में करीब 11:00 बजे शौच के लिए गयी थी, वापस आकर सरकारी नल पर पहुंची थी कि अचानक विपक्षी राम किशुन पुत्र सीता राम निवीसी ग्राम सिरहिया, थाना ललिया, जनपद बलरामपुर ने पहुंचकर उसे अपने घर में खींच ले गया और मुंह बन्द कर दबाकर बलात्कार किया। उसके द्वारा चिल्लाने पर उसके घर के बगल के लोग सोमई और लालमन आ गये और उसे बेहोशी के हालत में घर लेकर गये। पूरी घटना अपने पति को उसने बताई। जब उसका पति विपक्षी के घर गया तब विपक्षी ने कहा कि उसने कहीं कहा तो वह उसे जान से मार देगा। दिनांक– 22.08.2021 को थाने पर गई लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई और न ही मेडिकल कराया गया तब विवश होकर वाक्ये की सूचना जरिये पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को भेजवाया, जहाँ पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय के समक्ष उसने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

4. परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त आवेदन के सम्बन्ध में तत्कालीन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, बलरामपुर द्वारा सुनवाई करते हुए उसे दिनांक–08.09.2021 के आदेश के माध्यम से परिवाद के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में परिवादिनी द्वारा स्वयं का बयान अंतर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षीगण लालमनि व सोमई का बयान अन्तर्गत धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध कराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तत्कालीन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, बलरामपुर के आदेश दिनांकित 14.12.2021 के द्वारा अभियुक्त राम किशुन को धारा–376 भारतीय दंड संहिता के तहत विचारण के उद्देश्य से आहूत किया गया।

5. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, बलरामपुर द्वारा उक्त प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने के कारण अभियुक्त को नकलें आदि प्रदान किये जाने के उपरान्त आदेश दिनांक–18.07.2022 के माध्यम से पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी, जो हाल ही में अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

6. उक्त प्रकरण में तलबी आदेश के पश्चात अभियुक्त रामकिशुन की जमानत

न्यायलय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), बलरामपुर से निरस्त होने के फलस्वरुप अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय से अपनी जमानत कराई।

7. तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा दिनांक 08.09.2022 को अभियुक्त राम किशुन के विरूद्ध धारा–376 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त द्वारा आरोप को अस्वीकार किया गया तथा विचारण किए जाने की याचना की गई।

8. अभियोजनपक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु निम्नलिखित मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैः–

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

1. अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता (परिवादिनी)
2. अभियोजन साक्षी संख्या–2 लालमनि (परिवादिनी का पड़ोसी)
3. अभियोजन साक्षी संख्या–3 सोमई (परिवादिनी का पड़ोसी)

<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं०, **प्रदर्श क–1**
2. प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिवादिनी का शपथ पत्र, **प्रदर्श क–2**
3. पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, **प्रदर्श क–3**
4. रजिस्ट्री रसीद, **प्रदर्श क–4**

अभियोजन साक्षीगण की मुख्य परीक्षाः–

9. **अभियोजन की ओर से साक्षी संख्या–1 परिवादिनी/पीड़िता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। घटना करीब तीन साल पहले रक्षाबन्धन त्योहार के चार दिन पहले रात 11.00 बजे की है। उसके घर में शौचालय नहीं है, शौंच करने के लिए वह अपने घर के पास ही बाग में गयी थी, शौंच से निपटकर वह अपने घर के पास लगे सरकारी नल पर हाथ पैर धो रही थी कि इसी बीच उसका पड़ोसी रामकिशुन पीछे से आकर उसको पकड़ लिया और एक हाथ से उसका मुंह दबाकर अपने घर में खींच ले गया तथा जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार (अयुक्त संभोग) किया। वह छटपटाई चिल्लाई तो उसके घर के आसपास पड़ोसी सोमई

व लालमन मौके पर आये तथा अचेत अवस्था में उसको उसके घर पहुंचाया। घटना के समय अभियुक्त राम किशुन के घर पर कोई नहीं था। राम किशुन के मां बाप कोई नहीं है और न ही राम किशुन की शादी हुई है। सुबह वह थाने पर रिपोर्ट लिखाने गयी लेकिन थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। वह कई बार थाने पर गयी लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तब उसने एक दरख्वास्त लिखाकर पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर को जरिये रजिस्ट्री डाक शिकायत किया था। पुलिस अधीक्षक को दरख्वास्त देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तब वह न्यायालय पर आयी और अपने अधिवक्ता को सारी घटना वाली बात बतायी तब उन्होंने न्यायालय पर घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र टाइप कराकर उसको पढ़कर सुनाकर उसमें उसका निशानी अंगूठा व फोटो लगाकर न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय पर मजिस्ट्रेट ने उसका बयान लिया था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4क/01 लगायत 4क/2 अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० व कागज संख्या 4क/3 शपथ पत्र की ओर साक्षी का ध्यान आकृष्ट कराया गया। साक्षी ने उपरोक्त प्रपत्रों तथा उनपर बने उसके फोटो व निशानी अंगूठा को तस्दीक किया उस पर क्रमशः प्रदश क –1 व प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रशीद को प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–2 लालमनि** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। घटना करीब चार साल होने को है। घटना सावन के महीने की रात के करीब 11:00 बजे की है। पीड़िता तथा रामकिशुन के घर के बीच में तीन घर की दूरी है। उसका घर पीड़िता के घर के बगल में है। उसके घर की दीवाल तथा सरोज कुमारी के घर आपस में सटी है। रामकिशुन अपने घर पर अकेला रहता है। राम किशुन की शादी नहीं हुई है।

घटना वाली रात वह अपने घर में उस समय जाग रहा था। राम किशन के घर से महिला के चिल्लाने की आवाज उसने सुनी तथा अन्य लोगों ने सुनी थी। आवाज सुनकर वह टार्च लेकर अपने घर से निकला तथा बीच में उसे सोमई भी मिले, वे लोग राम किशुन के घर के अन्दर गये तो देखा कि पीड़िता कमरे में पड़ी थी तथा उसके कपड़े अस्त–व्यस्त थे। राम किशुन उन लोगों को देखकर कमरे से निकलकर आंगन में जाकर खड़ा हो गया था। पीड़िता को उन लोगों ने अचेत अवस्था में सहारा देकर

पीड़िता के घर में लेकर गये, उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा होश में आने पर उसको पानी पिलाया। उसने पीड़िता से पूछा तब पीड़िता ने बताया कि वह शौंच के लिए गयी थी उसके बाद में सरकारी नल पर पहुंची उसे नल से राम किशन उठाकर अपने घर में ले गये। पीड़िता ने बताया कि राम किशुन ने उसके साथ बलात्कार किया है। वह अदालत पर समन मिलने पर आया है। वह पीड़िता व रामकिशुन को अपने हाथ में लिए टार्च की रोशनी में उनके घर में देखा था।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–3 सोमई** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि वह रामकिशुन को जानता है। उसके गांव सिरहिया में ही निवास करते हैं। पीड़िता भी उसके ही गांव में रहती है। घटना चार साल पहले की है। महीना अषाढ़ का था। घटना वाली रात वह अपने घर पर पशु को चारा खिला रहा था, चारा खिला कर अपने अपने घर पर आया, रात में करीब 10.00–11.00 बजे का टाइम था, हल्की बारिश हो रही थी। वह नल पर जा रहा था। वह अपने हाथ में टार्च लिए हुए थे। उसने पीड़िता को रामकिशुन के द्वार पर बेहोश देखा। उसने आवाज लगाया कि कौन औरत पड़ी है। वह औरत पीड़िता थी। उसने उठाकर पीड़िता को पानी का छींटा मारा तब वह होश में आयी। उसने उससे पूछा कि इस हालत में वह कैसे पड़ी थी तो उसने उसे बताया कि रामकिशुन ने उसके साथ बलात्कार किया है। इससे पहले भी उसने मजिस्ट्रेट के न्यायालय में बयान दिया था। जब वह पीड़िता को रामकिशुन के द्वार पर पहुंचा था, तो उस समय लालमनि भी आये थे।

<u>अभियुक्त की परीक्षा</u>

12. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक व साक्षीगण द्वारा दिये गये बयान के समस्त तथ्यों से इंकार करते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है। उसके विरुद्ध रंजिशन मुकदमा चलाया गया है। परिवादिनी उसका घर मांग रही थी, उसने नहीं दिया तो उसने साजिश के तहत उक्त मुकदमे में फंसा दिया।

13. अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में **डी०डब्लू०–1 सुषमा** को परीक्षित कराया गया है।

अभियुक्त की ओर से परीक्षित साक्षी संख्या–1 सुषमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि वह रामकिशुन को जानती है। उसका घर व रामकिशुन का घर आमने–सामने है। मोहारा भी आमने–सामने है। पीड़िता ने जो चार साल पहले की घटना बताई है कि रामकिशुन उसे अपने घर में खींचकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किये, वह बात झूठी है। नल उसके आँगन में लगा हुआ है, पीड़िता जो बात बताई है कि रामकिशुन उसे नल से खींचकर उसे अपने घर ले गये, वह बात झूठी है। पीड़िता ने बलात्कार करने से बेहोश होने की बात बताई है, वह झूठी है। पीड़िता ने जो बताया कि लालमनि व सोमी उसके बेहोस होने पर उसके चेहरे पर पानी का छीटा मारकर होश में लाये और उसे उसके घर ले गये, वह बात भी झूठी है। पीड़िता ने जो बात बताई है कि रामकिशुन के बलात्कार करने से उसके कपड़े अस्त–व्यस्त हो गये थे वह बात भी झूठी है। लालमन व सोमई ने जो बात बताई है कि रामकिशुन ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है, वह झूठी बात है क्योंकि उसका घर व मोहारा रामकिशुन के घर के सामने है। वह करीब एक महीने पहले जान पाई कि पीड़िता ने रामकिशुन के ऊपर मुकदमा लिखाया है, वरना वह भी कुछ करती। पीड़िता उसकी देवरानी है वह उससे कही थी कि वह मुकदमा लिखाने नहीं जा रही थी परन्तु उसके मर्द ने मुकदमा लिखा दिया। पुलिस वालों के बताने पर वह बयान देने आई है। वह रामकिशुन को बचाने आई है। रामकिशुन के दरवाजे पर मुहल्ले के 20–25 लोग किसी विवाद को लेकर कभी नहीं गये। पीड़िता के साथ बलात्कार होने वाली घटना झूठी है, इसलिए 20–25 लोग रामकिशुन के घर कभी नहीं गये। वह न्यायालय अकेले आई है। कचहरी वह दो बार आई है. रामकिशुन से मर्डर केस में उससे मिलने आई थी

बचावपक्ष द्वारा अपने बचाव में अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

14. अभियोजन की तरफ से उनके विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अपने मौखिक तर्क में कहा कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–1 पीड़िता, पी०डब्लू०–2 लालमनि व पी०डब्लू०–3 सोमई द्वारा अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बखूबी साबित किया है। इन गवाहान के बयान में जो विरोधाभाष है वह तात्विक नहीं है, बल्कि तुच्छ प्रकृति के है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्ति –युक्त संदेह के परे

साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया जाय।

15. अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्क के खण्डन में अभियुक्त /बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मौखिक तर्क में कहा गया है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे सोच–समझकर झूठा फंसाया गया है। प्रश्नगत मामले की घटना रात्रि 11:00 बजे की होना कथित है। पीड़िता रात्रि 11:00 बजे शौच के जाती है और इतनी रात को उसके पास रोशनी का कोई माध्यम नहीं है। उसने अपने बयान में कहीं पर भी कथन नहीं किया कि वह इतनी रात्रि में बिना रोशनी के बाग तक कैसे गई और वहाँ से वापस नल तक कैसे वापस आई। पीड़िता व उसका पति मात्र अभियुक्त का घर लेना चाहते थे, लेकिन जब उसने नहीं दिया तो उसे इस फर्जी मामले में फंसा दिया। अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने जिन साक्षीगण को परीक्षित कराया है, उनके स्वयं व एक–दूसरे के साक्ष्य में विरोधाभाष है। पीड़िता द्वारा कोई मेडिकल भी नहीं कराया गया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को सिद्ध करने के लिए पत्रावली पर न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य है और न ही कोई संतोषप्रद परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। अतः अभियुक्त दोष–मुक्त किये जाने योग्य है।

16 राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

17. अभियुक्त रामकिशुन के विरुद्ध धारा–376 भा०दं०संहिता के तहत आरोप विरचित किया गया है। अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह सन्देह से परे साबित करना है कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया है।

18. बलात्कार के मामले में पीड़िता की उम्र अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जहाँ तक इस मामले की पीडिता की उम्र का सम्बंध है तो पीड़िता ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) दं०प्र०सं० में अपनी उम्र 30 वर्ष बताई है व न्यायालय के समक्ष दौरान प्रतिपरीक्षण कथन किया कि उसकी शादी कब हुई थी उसे यह नहीं पता।

वह करीब 12 साल से अपने पति के साथ रह रही है। उसके चार बच्चे हैं। पत्रावली पर पीड़िता के बालिग अथवा नाबालिग होने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाये गये हैं। अतः निश्चित रूप से घटना के समय पीड़िता पूर्णरूप से वयस्क थी।

19. बलात्कार के मामलों में पीड़िता सबसे महत्वपूर्ण साक्षी होती है और एक मात्र पीड़िता का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह भी सुस्थापित विधिक सिद्धान्त है, कि पीड़िता के एक मात्र विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्ध का आदेश पारित किया जा सकता है। पीड़िता के विश्वसनीय साक्ष्य की किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से सम्पुष्टि होना आवश्यक नही है किन्तु पीड़िता का साक्ष्य अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकित किया जाना चाहिए और न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या एक मात्र पीड़िता का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है और ऐसा कोई भी तथ्य नही है, जिससे उसके साक्ष्य पर लेस मात्र भी संदेह उत्पन्न होता हो। यदि ऐसा है तो पीड़िता के एक मात्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि पारित की जा सकती है। इसी आशय का सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उ०प्र०राज्य बनाम छोटे लाल, ए0आई0आर0 2011, सुप्रीम कोर्ट, 697,** में प्रतिपादित किया है।

20. अब यह देखना है कि क्या पीड़िता का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है और उपरोक्त कसौटी पर खरा उतरता है तथा पीड़िता के एक मात्र साक्ष्य के आधार पर इस मामले में दोषसिद्धि का आदेश पारित किया जा सकता है?

प्रश्नगत मामले की वादिनी मुकदमा/पीड़िता पी०डब्लू०–1 ने अपनी तहरीर/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०संहिता में कथन किया कि पीड़िता दिनांक–19.08.2021 को रात में करीब 11:00 बजे शौच के लिए गयी थी, वापस आकर सरकारी नल पर पहुंची थी कि अचानक विपक्षी राम किशुन उसे अपने घर में खींच ले गया और उसका मुंह दबाकर बलात्कार किया। उसके चिल्लाने पर उसके घर के बगल के लोग सोमई और लालमनि आ गये और उसे बेहोशी के हालत में घर लेकर गये। पूरी घटना अपने पति को उसने बताई। जब उसका पति विपक्षी के घर गया तब विपक्षी ने कहा कि उसने इस बारे में कहीं कहा तो वह उसे जान से मार देगा। दिनांक–22.08.2021 को थाने पर गई लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई और न ही मेडिकल कराया गया तब विवश होकर वाक्ये की सूचना जरिये पंजीकृत डाक से पुलिस

अधीक्षक बलरामपुर को भेजवाया, जहाँ पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय के समक्ष उसने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

21. इसी प्रकार पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया कि घटना करीब रात 11.00 बजे की है। उसके घर में शौचालय नहीं है, शौंच करने के लिए वह अपने घर के पास ही बाग में गयी थी, शौंच से निपटकर वह अपने घर के पास लगे सरकारी नल पर हाथ पैर धो रही थी कि इसी बीच उसका पड़ोसी रामकिशुन पीछे से आकर उसको पकड़ लिया और एक हाथ से उसका मुंह दबाकर अपने घर में खींच ले गया तथा जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार (अयुक्त संभोग) किया। वह छटपटाई चिल्लाई तो उसके घर के आसपास के पड़ोसी सोमई व लालमन मौके पर आये तथा अचेत अवस्था में उसको उसके घर पहुंचाया। घटना के समय अभियुक्त राम किशुन के घर पर कोई नहीं था। सुबह वह थाने पर रिपोर्ट लिखाने गयी लेकिन थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। वह कई बार थाने पर गयी लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तब उसने एक दरख्वास्त लिखाकर पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर को जरिये रजिस्ट्री डाक शिकायत किया था। पुलिस अधीक्षक को दरख्वास्त देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तब वह न्यायालय पर आयी और अपने अधिवक्ता को सारी घटना वाली बात बतायी तब उन्होंने न्यायालय पर घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र टाइप कराकर उसको पढ़कर सुनाकर उसमें उसका निशानी अंगूठा व फोटो लगाकर न्यायालय में दाखिल किया था।

22. बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी०डब्लू०–1 पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या–4 में कथन किया कि ***"..जब रामकिशुन मे उसका मुँह दबाया था तब उसने उसके दाँत नहीं काटा था। उसने उसका हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया था न ही उसने अभियुक्त से कोई झगड़ा करने का प्रयास किया। उसने विरोध किया था। विरोध व झगड़ा का अर्थ वह समझती है दोनो एक ही चीज है।"...*** *आगे उसी पृष्ठ पर नीचे से 4 थी पंक्ति से यह भी साक्ष्य दिया कि* ***"...वह चोट खा गयी थी। उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा–200 दं०प्र०सं० में बयान दिया था कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसने अपनी चोटों की डाक्टरी नहीं कराई थी। वह जानबूझकर अस्पताल अपना मेडिकल कराने नहीं गयी थी। यह सही है कि जब वह मेडिकल कराती तब सच्चाई सामने आती।.."***

23. इस प्रकार पीड़िता के उपरोक्त बयान से स्पष्ट होता है कि कथित घटना के दिन अभियुक्त ने पीड़िता के कथनानुसार उसे पीछे से पकड़ा और नल से खींच कर उसे अपने घर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। सामान्यतः जब किसी व्यक्ति अथवा महिला/पीड़िता को जबरदस्ती खींच कर घर के अन्दर ले जाने का प्रयास किया जायेगा तो अपने बचाव में उस व्यक्ति अथवा महिला को उसके पैरों में घसीटने के कारण चोटें आना, दरवाज़े से अन्दर जाते समय दरवाजे से चोट लगना आदि स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना होती है। इसके साथ ही साथ यदि उस महिला को घसीट कर घर के अन्दर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती किये जाने का प्रयास किया जाता है तब भी वह स्वयं को बचाने के प्रयास भी अवश्य करेगी यहां तक कि विपक्षी पर हमला करने का प्रयास भी कर सकती है जिसके कारण पीड़िता को चोटें आना स्वाभाविक है, परन्तु पीड़िता के प्रतिपरीक्षा में किये गये कथन से स्पष्ट होता है कि उसने अपने बचाव में कोई प्रयास नहीं किया तथा पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा में पहले उसे चोट आने का कथन किया फिर चोट नहीं आने का विरोधाभाषी कथन किया है। पीडिता ने अपने बयान धारा–200 दं०प्र०सं० के तहत उसे कोई चोट नहीं आने का कथन किया था। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156 दं०प्र०सं० व मुख्य परीक्षा के बयान में भी पीड़िता ने घटना के दौरान उसे कोई चोट आई थी या नहीं, इस सम्बन्ध में पीड़िता ने कोई कथन नहीं किया है, जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अवश्य स्वीकार किया है कि वह जानबूझकर अपना मेडिकल कराने अस्पताल नहीं गयी। बलात्कार जैसे गम्भीर मामले में मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट ही सबसे महत्वपूर्ण आधार साबित होता है, जिससे घटना की पुष्टि होती है, परन्तु पीड़िता का प्रतिपरीक्षा में यह कथन कि उसने जानबूझकर अपना मेडिकल नहीं मामले को कमजोर व घटना कारित होने में संदेह उत्पन्न करता है।

24. पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ संख्या–4 में नीचे से 10 वीं पंक्ति में यह भी कथन किया कि *"...उसने वकील साबह से दरख्वास्त लिखाया था। वकील साहब ने अपने हाथ से लिखा था। वह वकील साहब के यहाँ गयी थी, एस०पी० साहब के यहाँ नहीं गयी थी।* ***वकील साहब के कहने पर उसने मुकदमा दायर कर दिया था। कचहरी के अलावा वह और कहीं शिकायत करने नहीं गयी थी। वकील साहब लिखे और पढ़कर सुनाये तब वह जान पाई कि यह बयान देना है। वकील साहब ने जो बताया था, वही बयान उसने दिया था।*** *न्यायालय के अलावा उसने और कहीं बयान नहीं*

दिया था।

25. पीड़िता के उपरोक्त प्रतिपरीक्षा में किये गये कथन के अनुसार जब उसके वकील ने उसका प्रार्थना पत्र लिखा, उसे पढ़कर सुनाया तब उसे ज्ञात हुआ कि उसे अभियुक्त के विरुद्ध किस प्रकार का बयान देना है। उसके अगली पंक्ति में यह भी स्वीकार किया कि वकील साहब ने उसे जो बताया था, उसने वही बयान दिया था। अतः पीड़िता के इस प्रकार के उपरोक्त बयान से पीड़िता का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय होना, उसमे लेस मात्र भी संदेह नहीं होना, ऐसा दर्शित नहीं होता है।

26. पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि ***"..वह रात में आठ बजे से पहले सो जाती है।*** *इसलिए वह नहीं बता सकती है कि सोमई की दुकान रात 10–11 बजे तक खुली रहती है या नहीं।* ***जिस दिन की घटना वह बता रही है उस दिन भी वह रात आठ बजे तक सो गई थी। रात में फिर 11:00 बजे जागी थी। जागी तब उस समय सोमई की दुकान बन्द थी। दुकान बन्द देखकर वह सो गई।*** *उसके घर से सोमई की दुकान दिखाई देती है।.."* उपरोक्त बयान के सन्दर्भ में बचावपक्ष ने कथन किया यदि पीड़िता रात्रि 11:00 बजे जगी और सोमई की दुकान बन्द देखकर वह सो गई, तब अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ उस समय अपने घर पर घटना कारित किया जाना सम्भव नहीं है, जबकि पीड़िता ने स्वयं अपनी प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ संख्या–7 में स्वीकार किया है कि *"..यह कहना सही है कि* ***जिस दिन की घटना वह बता रही है, उस दिन रात्रि 11:00 बजे के आस–पास उसे कोई नहीं मिला था, न ही उसके सम्बन्ध में किसी को कोई जानकारी है।.."*** पीड़िता का उपरोक्त बयान भी अभियोजन कथनाक को कमजोर कर देता है तथा सन्देह कि स्थिति उत्पन्न कर देता है कि वास्तव में पीड़िता कथित घटना की रात्रि को 11:00 बजे शौच हेतु गई थी अथवा नहीं। अतः बचावपक्ष के उपरोक्त तर्क से घटना संदिग्ध हो जाती है।

27. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि पीड़िता द्वारा अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में रात्रि 11:00 बजे शौच हेतु बाग तक जाने के लिए रोशनी का कोई माध्यम नहीं बताया है तथा पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ संख्या–4 में पहली पंक्ति में यह स्वीकार किया है कि जब वह शौच के लिए गयी थी तब टार्च लेकर नहीं गयी थी। तथा पृष्ठ संख्या–6 में यह भी स्वीकार किया है कि वह रात्रि में 11:00 बजे उठी और सोमई की दुकान बन्द

देखकर वह पुनः सो गई थी। पीड़िता के उपरोक्त कथन, एक तरफ यह कि कथित घटना के समय रात्रि में 11 बजे (जबकि पी०डब्लू०–3 के अनुसार उस रात हल्की बारिश भी हो रही थी) पीड़िता का शौच के लिए जाने हेतु अपने साथ रोशनी का कोई साधन टार्च आदि न लिये होना तथा वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के ही कथनानुसार उसका रात्रि में 11:00 बजे (जो कि कथित घटना का समय है) उठना, सोमई की दुकान बन्द देखकर पुनः सो जाना यह स्पष्ट रूप से दर्शित करता है कि पीड़िता ने अभियुक्त पर जो आरोप लगाया है वह झूठा है तथा अपने अधिवक्ता अथवा किसी अन्य के बताने के अनुसार मुख्य परीक्षा में अभियुक्त के विरुद्ध बयान दिया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पी०डब्लू०–2 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आवाज सुनकर वह टार्च लेकर अपने घर से निकला था। पी०डब्लू०–3 ने भी मुख्य परीक्षा में अपने हाथ में टार्च लिए होने का कथन किया है। पी०डब्लू० –2 व 3 के उक्त बयान से स्पष्ट है कि यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय रास्ते में रात्रि में घर से बाहर जाने के लिए रोशनी का कोई साधन (रोड लाइट) वगैरह नहीं था, जिसके कारण पी०डब्लू०– 2 व 3 टार्च लेकर घर से बाहर निकले थे। ऐसे में पीड़िता पी०डब्लू०–1 के मुख्य परीक्षा व प्रार्थना पत्र 156(3) दं०प्र०संहिता में रोशनी के माध्यम का उल्लेख नहीं होना व प्रतिपरीक्षा में शौच के लिए जाते समय टार्च आदि लेकर नहीं जाना व आगे प्रतिपरीक्षा में ही कथन करना कि वह रात्रि में 11:00 बजे उठी तो थी परन्तु फिर वह पुनः सो गई, पीड़िता के साक्ष्य को संदेह से परे पुष्ट नहीं करता है।

28. पी०डब्लू०–1 पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या–3 में कथन किया कि *रामकिशुन उसके पट्टीदार है। राम किशुन से उसके घर आना–जाना था। रामकिशुन उसके घर पर खाना–पीना भी खाते थे। राम किशुन का कोई नहीं है। राम किशुन के घर खाना बनाने वाला कोई नहीं है।* ***रामकिशुन उसके घर पर ही खाना खाते थे। रामकिशुन उसके घर आकर खाना खाते थे। खाना खाने का कोई खर्चा रामकिशुन नहीं देते थे। रामकिशुन को उसने तीन साल तक खाना खिलाया है।*** *रामकिशुन से मेल व्यवहार पहले बढ़िया था, अब उसका कोई मेल व्यवहार नहीं है।* वहीं प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या–4 में पीड़िता ने कथन किया कि ***उसने रामकिशुन को कभी भी खाना नहीं खिलाया है।*** जबकि पीड़िता ने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त उसके घर सालों से आता–जाता रहा तब उसके पास पर्याप्त अवसर ता कि वह पीड़िता के साथ

कोई घटना कारित कर सकता था परन्तु पीड़िता द्वारा इस समय के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही है। इस प्रकार पीड़िता स्वयं एक ही विषय के सम्बन्ध में दो अलग अलग व विरोधाभाषी बयान दे रही है, जिससे पीड़िता के साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देता है।

29. जहाँ तक प्रश्न पी०डब्लू०–2 लालमनि व पी०डब्लू०–3 सोमई (जिन्हें कथित घटना के समय मौके पर घटनास्थल पर पहुंचना व चक्षुदर्शी साक्षी होना कथित है।) के साक्ष्य का प्रश्न है तो पी०डब्लू०–2 लालमनि ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "*राम किशुन के घर के अन्दर गये तो देखा कि पीड़िता कमरे में पड़ी थी तथा उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे।* ***राम किशुन हम लोगों को देखकर कमरे से निकलकर आँगन में जाकर खड़ा हो गया था।*** *पीड़िता को हम लोगों ने अचेत अवस्था में सहारा देकर उसके घर में लेकर आये उसके मुँह पर पानी का छींटा मारा, होश में आने पर उसका पानी पिलाया।* " पी०डब्लू०–2 के उपरोक्त साक्ष्य के अनुसार जब वह और साक्षी सोमई मौके पर पहुंचे तब अभियुक्त रामकिशुन उन्हें देखकर कमरे से निकलकर आँगन में जाकर खड़ा हो गया। साक्षी के बयान से प्रतीत होता है कि अभियुक्त आँगन में जाकर खड़ा हो गया, उसने भागने का प्रयास नहीं किया और न पी०डब्लू०–2 व साक्षी सोमई ने उससे कुछ जानने का प्रयास किया, वे केवल पीड़िता को अचेत अवस्था में उठाकर उसके घर ले आये। ऐसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति संदिग्ध व आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति उस जगह (घटनास्थल) से भागने का प्रयास करेगा, परन्तु प्रश्नगत मामले में पी०डब्लू०–2 के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त उन्हें देखकर कमरे से निकलकर आँगन में जाकर खड़ा हो गया उसने भागने का प्रयास नहीं किया और न ही पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–3 ने अभियुक्त से कुछ जानने का प्रयास किया। अतः पी०डब्लू०–2 के उपरोक्त बयान अभियोजन कथनाक को कमजोर बनाता है।

30. इसके अतिरिक्त पी०डब्लू०–2 लालमनि का मुख्य परीक्षा में कथन है कि *"...रामकिशुन के घर से महिला के चिल्लाने की आवाज मैने सुनी तथा अन्य लोगों ने सुनी थी। आवाज सुनकर में टार्च लेकर अपने घर से निकला तथा* ***बीच में मुझे सोमई भी मिले। हम लोग रामकिशुन के घर के अन्दर गये तो देखा कि पीड़िता कमरे में पड़ी थी तथा*** *उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। राम किशुन हम लोगों को देखकर कमरे से*

निकलकर आँगन में जाकर खड़ा हो गया था। पीड़िता को हम लोगों ने अचेत अवस्था में सहारा देकर उसके घर में लेकर आये उसके मुँह पर पानी का छींटा मारा, होश में आने पर उसको पानी पिलाया। " पी०डब्लू०–2 के साक्ष्य के अनुसार सोमई उसे रास्ते में ही मिल गया था, दोनो लोग साथ में रामकिशुन के घर के अन्दर गये थे और पीड़िता उन्हें कमरे में मिली थी। उसे बेहोशी की हालत में उसके घर ले गये थे। पीड़िता को उसके घर में होश आया था। जबकि पी०डब्लू०–3 सोमई ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि *"....रात में करीब 10–11 बजे का टाइम था।* ***हल्की बारिश हो रही थी।*** *मैं नल पर जा रहा था। मैं अपने हाथ में टार्च लिए हुए था।* ***मैंने पीड़िता को रामकिशुन के द्वार पर बेहोश देखा।*** *मैंने आवाज लगाया कि कौन औरत पड़ी है। वह औरत पीड़िता था।* ***मैं उठाकर उसको पानी का छीटा मारा तब वह होश में आई।*** *मैंने उससे पूंछा कि इस हालत में तुम कैसे पड़ी थी तो उसने मुझे बताया कि रामकिशुन ने उसके साथ बलात्कार किया है।...."* अतः पी०डब्लू०–3 के साक्ष्य के अनुसार पीड़िता उसे अभियुक्त के दरवाजे पर बेहोश पड़ी मिली, जबकि पीडब्लू०–2 का कथन है कि उन्हें पीड़िता अभियुक्त के कमरे में बेहोश पड़ी मिली थी। पी०डब्लू० –3 का कथन किया कि पीड़िता को बेहोशी की हालत में उसके घर ले गये वहाँ उसे होश आया जबकि पी०डब्लू०–3 सोमई का कथन है कि उसने पीड़िता को वहीं अभियुक्त के दरवाजे पर पानी का छीटा मारा तब उसे होश आया । अब <u>यदि पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–3 दोनो कथित घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है, और दोनो एक साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे तो पीड़िता का उन्हें अलग–अलग स्थान पर मिलना तथा पीड़िता का अलग–अलग स्थान पर होश आना</u> साक्षीगण के साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है।

31 इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–3 द्वारा दिये गये उपरोक्त विरोधाभाषी बयान से अभियोजन कथनाक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। जबकि पी०डब्लू०–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त द्वारा बलात्कार करते समय बलात्कार की घटना नहीं देखी थी। विधि व्यवस्था **मध्य प्रदेश राज्य बनाम शीतला प्रसाद (2009) 8 एस0सी0सी0 617 में** माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित भी किया है कि अभियोजन को युक्ति–युक्त संदेह से परे आरोप साबित करना चाहिए। यदि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर संदेह से परे आरोप साबित नहीं किया जा सका है तो अभियुक्त को दोष–सिद्ध नहीं

किया जा सकता। अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पर है, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कोई घटना कारित किया जाना संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है।

32. बचाव पक्ष ने यह भी कथन किया पीड़िता ने प्रश्नगत मामले के प्रथम चरण से अर्थात अपनी तहरीर/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156 दं०प्र०सं० से लेकर धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान व न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान (मुख्य परीक्षा) तक, किसी भी चरण में घटना के समय 20–25 लोगों के मौजूद होने का कथन नहीं किया है परन्तु प्रतिपरीक्षा घटना के समय 20–25 लोगों के मौजूद होने का कथन किया है तथा उनमें से कुछ व्यक्तियों के नाम भी बताये है। पी०डब्लू०–2 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना के समय 20–25 लोगों के आने का कथन किया है। यदि इस तथ्य को सत्य मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह निकलता है कि कथित घटना की जानकारी घटना के समय रात्रि में ही कई लोगों हो गई थी, जिसके फलस्वरुप आस–पड़ोस के लोग घटनास्थल पर पहुंच गये थे, परन्तु पीड़िता ने घटना के सम्बन्ध में मात्र दो साक्षीगण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये है। न्यायालय द्वारा दिनांक–12.05.2026 को घटना के अन्य साक्षीगण को परीक्षित न कराये जाने अथवा उनके शपथ पत्र के रूप में उन्हे साक्ष्य में सम्मिलित न कराये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके उत्तर दिनांकित–02.06.2026 में अभियोजन द्वारा कथन किया गया कि *अभियोजन द्वारा दो साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है। चूंकि अन्य साक्षीगण भी एक ही तथ्य के साक्षी है इसलिए सभी को परीक्षित कराये जाने की आवश्यकता विधि के अधीन नहीं पाते हुए उन्हे परीक्षित नहीं कराया गया है। विध का यह स्थापित सिद्धान्त है कि साक्षियों की संख्या नहीं गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है।* अभियोजन द्वारा दिया गया उक्त स्पष्टीकरण तभी सुसंगत अथवा मान्य होता जब अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य घटना की संदेह से परे पुष्टि हो रही होती , परन्तु ऊपर किये गये साक्षीगण के साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०– 3 के साक्ष्य आपस में विरोधाभाषी है, जो घटना को अविश्वसनीय बनाती है।

33. इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पीड़िता ने अपने घर – परिवार के किसी भी सदस्य या अपने पति का घटनास्थल पर मौके पर पहुंचने का कथन नहीं किया है जबकि पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –156(3) दं०प्र०संहिता में कथन किया है कि उसने पूरी घटना अपने पति को बताई तो उसका पति विपक्षी के घर गया तब विपक्षी ने कहा कि उसने कहीं कहा तो वह उसे जान से मार देगा। जिसका अर्थ यह निकलता है कि घटना के समय पीड़िता का पति अपने घर पर मौजूद था। उसे जब घटना की जानकारी हुई तो अभियुक्त से शिकायत करने पर अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में पीड़िता का पति भी इस मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी था जो पीड़िता के कथन को सम्पुष्टि करता, जो एक प्रकार से स्वयं पीड़ित व्यक्ति था, क्योंकि (प्रार्थना पत्र 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार) अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष बिना किसो कारण दर्शाये परीक्षित नहीं कराया गया। इस प्रकार पीड़िता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता एवं उसके द्वारा दिये गये विरोधाभाषी कथनों से पीड़िता द्वारा जैसी घटना बतायी गयी है उस पर संदेह उत्पन्न होता है और पीड़िता के कथन तथा अभियोजन कथानक पर न्यायालय का विश्वास मजबूत नहीं होता है।

निष्कर्ष

34. पत्रावली के समग्र परिशीलन व उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तुत मामले में पीड़िता ने कथन किया कि कथित घटना की रात्रि को 11:00 बजे वह शौच के लिए बाग में गई थी, वापस अभियुक्त के घर के पास लगे नल में पैर धुल रही थी, तभी अभियुक्त ने उसे पीछे से पकड़कर अपने घर के अन्दर घसीट ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया परन्तु पीड़िता अपने साक्ष्य में रोशनी का माध्यम नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि वह टार्च लेकर नहीं गयी थी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उसने अभियुक्त से बचने का कोई प्रयास नहीं किया। अगला तथ्य यदि पुलिस ने उसका मेडिकल नहीं कराया तो उसने स्वयं भी बलात्कार के सम्बन्ध में अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराया और प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर कर अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराया। पीड़िता ने अपनी चोटों के

सम्बन्ध में विरोधाभाषी बयान दिये कभी उसने कहा कि घसीट कर ले जाने के कारण उसे चोटें आई थी, कभी उसने कथन किया कि उसे चोटें नहीं आई थी। एक तथ्य यह भी प्रकाश में आया कि पीड़िता ने कहा कि वह रात्रि को 11:00 बजे उठी तो थी परन्तु सोमई की दुकान बन्द देखकर वह पुनः सो गयी थी, अर्थात वह शौच के लिए गई थी अथवा नहीं, पीड़िता के बयान से संदेह उत्पन्न हुआ। पीड़िता ने कहा अभियुक्त को वह तीन साल से अपने घर पर खाना खिला रही थी। फिर यह भी कथन किया कि अभियुक्त को कभी उसने अपने घर पर खाना नहीं खिलाया। पीड़िता ने कथन किया कि जब उसके पति को घटना के बारे में पता चला तो वह अभियुक्त से शिकायत करने गया था और अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी परन्तु पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अथवा धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान में पीड़िता ने इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया और न ही अपने पति का न्यायालय में साक्ष्य ही अंकित कराया। अतः पीड़िता के बयान में आये उपरोक्त विसंगतियों के कारण पीड़िता के साक्ष्य को पूरी तरह विश्सनीय होना, उसमे लेस मात्र भी संदेह नहीं हो, मात्र पीड़िता के बयान के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित किया जाना, ऐसा दर्शित नहीं होता है। जहाँ तक प्रश्न पीड़िता के अलावा अन्य दो साक्षीगण का तो उनके साक्ष्य में भी घोर विरोधाभाष पाया गया, जिसके कारण अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं होता है।

State of UP vs Anil Singh AIR 1988 SC 1998 Law laid down that "A Judge preside to see that a guilty man does not escape but a judge also preside over a criminal trial that no innocent person shall be punished. Both are public duties.

35. उपरोक्त विवेचन में आये निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष , अभियुक्त रामकिशुन द्वारा कथित घटना की दिनांक को पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार किये जाने के आरोपित अपराध को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–376 भा०दं०संहिता के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1. अभियुक्त रामकिशुन को सत्र परीक्षण संख्या–172/2022, परिवाद संख्या–1120/2021 अन्तर्गत धारा– 376 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–ललिया, जनपद बलरामपुर के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्त इस मुकदमे में जमानत पर है। उसके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

3. अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481/(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–437 ए) के अनुपालन में सात दिन की अवधि के अन्दर मु0 25,000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो सक्षम प्रतिभू इस आशय की प्रस्तुत करे कि यदि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपील होती है तो वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(**सुमित प्रेमी**)
अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
बलरामपुर
ID No.–UP1774

दिनांक–14.07.2026

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(**सुमित प्रेमी**)
अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
बलरामपुर
ID No.–UP1774

दिनांक–14.07.2026

Digitally signed by SUMIT PREMI
Date: 2026.07.14 17:29:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court